न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी रियांबडी जिला –नागौर
पीठासन अधिकारी श्री सुरेश कुमार (आर.ए.एस.)
अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या

वादी :–

01. चैनाराम पुत्र श्री बगसाराम, जाति जाट, निवासी जसवंताबाद, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रियांबड़ी
02. पटवारी हल्का, जसवंताबाद

निर्णय

वादी ने यह वाद बाबत् खातेदारी घोषणा व बंटवाड़ा का प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश किया। वाद का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम सूरपुरा की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 106 रकबा 1.19 हैक्टेयर, खसरा नं. 107 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नं. 108 रकबा 1.18 हैक्टेयर, खसरा नं. 89 रकबा 2.13 हैक्टेयर, खसरा नं. 90 रकबा 1.65 हैक्टेयर, खसरा नं. 59 रकबा 0.97 हैक्टेयर, खसरा नं. 60 रकबा 1.15 हैक्टेयर, खसरा नं. 61 रकबा 0.67 हैक्टेयर, खसरा नं. 62 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नं. 63 रकबा 0.67 हैक्टेयर, खसरा नं. 64 रकबा 0. 52 हैक्टेयर, खसरा नं. 68 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नं. 69 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नं. 70 रकबा 0.84 हैक्टेयर, खसरा नं. 71 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नं. 72 रकबा 0.84 हैक्टेयर, खसरा नं. 73 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा नं. 74 रकबा 1.38 हैक्टेयर, खसरा नं. 75 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नं. 76 रकबा 1.56 हैक्टेयर भूमि वादी की संयुक्त खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है। जो भूमि वाद में आगे विवादित भूमि के नाम से जानी जायेगी।

यह है कि विवादित भूमि की खातेदारी वादी के नाम दर्ज करते समय वादी का बोलता नाम रामकिशोर व चेतनराम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया, जबकि वादी का वास्तविक नाम चेनाराम है तथा वादी के समस्त रेकर्ड में उसका नाम चेनाराम ही दर्ज है।

यह है कि समस्त रिकॉर्ड में वादी का नाम चेनाराम ही दर्ज है तथा वादी के आधार कार्ड, जॉब कार्ड, डी.एल., राशनकार्ड में भी वादी का नाम चेनाराम ही दर्ज है।

यह है कि राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम रामकिशोर व चेतनराम दर्ज होने व अन्य सभी दस्तावेजात में वादी का नाम चेनाराम दर्ज होने से वादी को जगह–जगह कानूनी व नाम की अशुद्धि की समस्याऐं व भारी परेशानी पैदा होती है। वादी ने अभी हाल ही में अपनी विवादित भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहा तो वादी को उक्त अशुद्धि के नाम का पता चला। जिससे वादी यह वाद पेश करता है।

यह कि चेनाराम तथा रामकिशोर व चेतनराम वादी के ही नाम है। उक्त नाम का वादी एक ही व्यक्ति है लेकिन राजस्व रेकर्ड में गलती से वादी का नाम रामकिशोर वे चेतनराम दर्ज हो जाने से वादी को बड़ी भारी परेशानी व नुकसान हो रहा है। इसलिए वादी राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम रामकिशोर व चेतनराम की जगह चेनाराम दर्ज करवाने का अधिकारी है। जिससे विवादित खसरान का राजस्व रेकर्ड दुंरूस्त कर वादी का नाम रामकिशोर व चेतनराम की जगह चेनाराम किया जाकर विवादित खसरान की भूमि वादी की खातेदारी की घोषित किया जाना न्यायोचित है।

यह है कि बिनाय दावा वादी ने अभी कुछ दिन पूर्व में जब वादी ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहा, तब वादी को राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम रामकिशोर व चेतनराम दर्ज होने की जानकारी हुई, तब वादी ने प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 से उक्त रेकर्ड दुरूस्त करने का निवेदन किया, मगर प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

यह है कि इस्तदुआ वादी यह है कि वादी का वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीके से सादिर फरमाई जावें:–

1. यह है कि ग्राम सूरपुरा की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 106 रकबा 1.19 हैक्टेयर, खसरा नं. 107 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नं. 89 रकबा 2.13 हैक्टेयर, खसरा नं. 90 रकबा 1.65 हैक्टेयर, खसरा नं. 59 रकबा 0.97 हैक्टेयर, खसरा नं. 60 रकबा 1.15 हैक्टेयर, खसरा नं. 61 रकबा 0.67 हैक्टेयर, खसरा नं. 62 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नं. 63 रकबा 0.67 हैक्टेयर, खसरा नं. 64 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नं. 68 रकबा 0. 73 हैक्टेयर, खसरा नं. 69 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नं. 70 रकबा 0.84 हैक्टेयर, खसरा नं. 71 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नं. 72 रकबा 0.84 हैक्टेयर, खसरा नं. 73 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा नं. 74 रकबा 1.38 हैक्टेयर, खसरा नं. 75 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नं. 76 रकबा 1.56 हैक्टेयर का राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाकर वादी का नाम रामकिशोर व चेतनराम की जगह चेनाराम दर्ज किया जाकर उक्त भूमि खातेदारी की काश्त व कब्जासुद घोषित की जावें।
2. यह है कि अन्य जो भी प्रार्थना वादी के हक में हो, सादिर फरमाई जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार रियांबड़ी को रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार रियांबड़ी ने मोका रिपोर्ट में अवगत करवाया कि मौजा सुरपुरा में मोतबिरान के सामने मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें बताया गया कि चैनाराम पुत्र बक्साराम, चेतनराम पुत्र बगसाराम नाम का व्यक्ति चेनाराम पुत्र बगसाराम कौम जाट निवासी जसवंताबाद के नाम को अन्य नाम से पुकारते है लेकिन राजकाज में काम आने वाले दस्तावेजों में चेनाराम पुत्र बगसाराम दर्ज है। वादी ने अपने पक्ष में ग्राम सुरपुरा के चेनाराम के भाई गबरूराम, नारायणराम पुत्र लालाराम, माता बिदामी ने भी अपने शपथ पत्र में अवगत करवाया कि मेरा पुत्र का सही नाम चेनाराम ही है गलती से रामकिशोर व चेतनराम नाम दर्ज हो रखे है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकोर्ड एवं शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि चेनाराम पुत्र बगसाराम व रामकिशोर व चेतनराम एक ही व्यक्ति है अतः ग्राम सूरपुरा की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 106 रकबा 1.19 हैक्टेयर, खसरा नं. 107 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नं. 89 रकबा 2.13 हैक्टेयर, खसरा नं. 90 रकबा 1.65 हैक्टेयर, खसरा नं. 59 रकबा 0.97 हैक्टेयर, खसरा नं. 60 रकबा 1.15 हैक्टेयर, खसरा नं. 61 रकबा 0.67 हैक्टेयर, खसरा नं. 62 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नं. 63 रकबा 0.67 हैक्टेयर, खसरा नं. 64 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नं. 68 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नं. 69 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नं. 70 रकबा 0.84 हैक्टेयर, खसरा नं. 71 रकबा 0. 01 हैक्टेयर, खसरा नं. 72 रकबा 0.84 हैक्टेयर, खसरा नं. 73 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा नं. 74 रकबा 1.38 हैक्टेयर, खसरा नं. 75 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नं. 76 रकबा 1.56 हैक्टेयर का राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाकर वादी का नाम रामकिशोर व चेतनराम की जगह चेनाराम दर्ज किया जाता है।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबडी

उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी (नागौर)

यह निर्णय आज दिनांक 20.7.20 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रियांबडी

उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी (नागौर)